

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

**RAJYA SABHA**  
**STARRED QUESTION NO. 64**  
**TO BE ANSWERED ON 22<sup>nd</sup> JULY, 2022**

**MEASURES TO INCREASE EXPORT OF PRODUCTS**

\*64. SHRI NARESH BANSAL:

Will the Minister of **COMMERCE & INDUSTRY** be pleased to state:

- (a) whether Government has taken measures to increase the export of products;
- (b) if so, the details of the quantity and value of item-wise exports for the last three years; and
- (c) the various remedial steps taken by Government to facilitate easy exports and the total amount allocated, disbursed and utilized for the same in the last three years?

**ANSWER**

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

\*\*\*\*\*

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (c) OF RAJYA SABHA  
STARRED QUESTION NO. 64 FOR ANSWER ON 22<sup>nd</sup> JULY, 2022 REGARDING  
“MEASURES TO INCREASE EXPORT OF PRODUCTS”.**

(a) : Government has proactively taken a number of steps to boost exports from the country. Some of the major steps taken, since 2014, are as follows:

- i. A new Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 was launched on 1<sup>st</sup> April 2015 which is valid till 30.09.2022. The policy, inter alia, rationalised the earlier export promotion schemes and introduced several measures to promote exports.
- ii. The mid-term review (2017) of the Foreign Trade Policy (2015-20) was carried out and corrective measures were undertaken.
- iii. The Government concluded FTAs with UAE, Australia and Mauritius to gain greater market access to these countries.
- iv. A new Logistics Division was created for integrated development of the logistics sector to bring down the cost of logistics in India.
- v. Interest Equalization Scheme on pre and post shipment rupee export credit was introduced from 1.4.2015 to provide cheaper credit to exporters. It has been further extended till 31.3.2024. Under this Scheme Rs.16, 427 crore have been released to the exporters since inception of the scheme.
- vi. The Government started implementing a Niryat Bandhu Scheme with an objective to reach out to the new and potential exporters including exporters from Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) and mentor them through orientation programmes, counselling sessions, individual facilitation, etc., on various aspects of foreign trade for enabling them to get into international trade and boost exports from India.
- vii. Market Access Initiative (MAI) Scheme envisages product-focus country approach to evolve specific market and specific product through market studies/survey. Assistance is provided to Export Promotion Organizations/ Trade Promotion Organizations/ National Level Institutions/ Research Institutions/ Universities/ Laboratories, Exporters etc., for enhancement of exports through accessing new markets or through increasing the share in the existing markets. ☐
- viii. Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) is operational from FY 2017-18 with the objective of assisting Central and State Government agencies for creation of appropriate infrastructure for growth of exports.
- ix. Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme has been implemented since 01.01.2021. Rebate of State and Central Levies and Taxes (RoSCTL) Scheme to promote labour oriented textile exports has been implemented since 07.03.2019.
- x. Common Digital Platform for Certificate of Origin has been launched to facilitate trade and increase Free Trade Agreement (FTA) utilization by exporters.
- xi. 12 Champion Services Sectors have been identified for promoting and diversifying services exports by pursuing specific action plans.
- xii. Districts as Export Hubs' (DEH) Initiative under which products and services with export potential have been identified in all districts of the country. An institutional mechanism has been set up in each District in the form of District Export Promotion Committees

(DEPCs). The primary function of the DEPC is to prepare and act on District Specific Export Action Plans in collaboration with all the relevant stakeholders from the Centre, State and District levels. A new scheme to provide financial assistance to selected districts has also been prepared.

- xiii. EPCs, Commodity Boards and India's mission abroad are also actively promoting India's trade, tourism, technology and investment goals.
- xiv. To match the growing expectations of trading community, DGFT has initiated the process of revamping its present ICT ecosystem to move to a large extent paperless, seamless interface with all its stakeholders.

(b): The details of the quantity and value of item-wise exports for the last three years is at annexure - I.

(c) : In order to facilitate ease of exports, different schemes are run by Department of Commerce /DGFT for the exporters and the amount allocated and disbursed /utilized under these Schemes is at Annexure – II.

Further, for ease of exports, DGFT has undertaken a series of technology-driven interventions to revamp its IT systems. The new DGFT IT Systems facilitate two-way online communication & processing, e-verification of the authenticity of documents and provide importers/exporters a paperless, contact-less, transparent interface.

\*\*\*\*\*

**Annexure-I****The details of India's export for major products during last three years:**

(Value in US\$ million)

<b>S. No</b>	<b>Major Products</b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>	<b>2021-22</b>
1	Engineering Goods	78704.4	76719.6	112094.5
2	Petroleum Products	41288.7	25804.4	67467.8
3	Gems And Jewellery	35898.5	26022.8	39099.1
4	Organic & Inorganic Chemical	22082.8	22088.5	29364.6
5	Drugs And Pharmaceuticals	20703.5	24444	24605.6
6	Electronic Goods	11700.6	11093.3	15660.2
7	Rmg Of All Textiles	15488.1	12272.2	16016
8	Cotton Yarn/Fabs./Madeups, Handloom Products Etc.	10027.7	9827.9	15297.4
9	Rice	6403.2	8829.2	9664.9
10	Plastic And Linoleum	7551.6	7462.9	9824.4
11	Marine Products	6722.1	5962.4	7772.4
12	Mica, Coal And Other Ores, Minerals Including Process	3948.4	4331.8	5189.3
13	Man-Made Yarn/Fabs./Madeups etc	4821.4	3806.3	5614.1
14	Leather And Leather Manufactures	4658.5	3301.4	4381.4
15	Meat, Dairy And Poultry Products	3714.3	3658	4140.8
16	Ceramic Products And Glassware	2870.7	3050.6	3464.8
17	Spices	3621.4	3984	3929.9
18	Cereal Preparations And Miscellaneous Processed	1527	1859.9	2280.5
19	Fruits And Vegetables	2380.5	2612.8	2882.3
20	Iron Ore	2625	4896.5	3241.2
21	Carpet	1373.3	1491.4	1789.9
22	Handicrafts Excl. Hand Made Carpet	1797.9	1707.5	2088.4
23	Oil Meals	827.9	1585	1031.7
24	Coffee	738.9	719.7	1020.7
25	Other Cereals	205.2	705.4	1085.1
26	Oil Seeds	1318.1	1235.7	1113.7
27	Tobacco	905.2	876.7	923.4
28	Tea	826.5	756.3	750.7
29	Jute Mfg. Including Floor Covering	342.6	371.3	507.6
30	Cashew	566.8	420.4	453.1
31	Others	17720.6	19910.8	29139
<b>India's Total Export</b>		<b>313361</b>	<b>291808.5</b>	<b>421894.3</b>

*Source: DGCI&S**Note: Due to different units of measurements of quantity within a QE group, the quantities are non-additive, hence, cannot be provided*

**Annexure –II****Amount allocated and disbursed / utilized under various Schemes**

	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (Rs in Crores)	
	Allocation	Utilization	Allocation	Utilization	Allocation	Utilization	Allocation	Utilization (April-June, 2022)
MEIS*	-	39046	-	14405	29599	24758	3289	252
SEIS*	-	7114	-	4740	6001	4034	4001	917
<b>Ongoing Schemes</b>								
RoDTEP	-	---	3114	2675	12454	12097	13699	3235
RoSCTL	-	3496	1737**	8755***	10495	9009	7641	2103
IES	2890	2890	1667	1667	3488	3488	2621	1682
TIES	65	65	60	60	75	75	71	00
MAI	325	325	171	171	140	140	200	10
Revamping IT systems of DGFT	16	16	16	16	15	15	0.25	0.25

\*Schemes are no more in operation.

\*\*This allocation was only for January, 2021 to March, 2021

\*\*\*This utilization includes scrips issued by DGFT for the period April, 2020 to December, 2020 for which no budgetary allocation was made.

\*\*\*\*\*

दिनांक 22 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के उपाय

\*64 श्री नरेश बंसल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिए उपाय किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यातों की मद-वार मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा निर्यात को सुकर बनाने के लिए कौन-कौन से विभिन्न उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि का आबंटन एवं संवितरण किया गया है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है।

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के उपाय” के संबंध में 22 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 64 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): सरकार ने देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहल करते हुए कई कदम उठाए हैं। 2014 से उठाए गए कुछ प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

- (i) नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20, 1 अप्रैल, 2015 को लांच की गई जो दिनांक 30.09.2022 तक वैध है। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को युक्तिसंगत बनाया गया और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कई उपाय शुरू किए गए।
- (ii) विदेश व्यापार नीति (2015–20) की मध्यावधि समीक्षा (2017) की गई और सुधारात्मक उपाय किए गए।
- (iii) सरकार ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के साथ इन देशों में अधिक से अधिक बाजार अभिगम प्राप्त करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
- (iv) भारत में लॉजिस्टिक की लागत को कम करने हेतु लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए एक नये लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया।
- (v) पूर्व एवं पश्चिमी पोतलदान रुपए निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को निर्यातकों को सस्ते ऋण प्रदान करने हेतु दिनांक 01.04.2015 से प्रारंभ किया गया। इस स्कीम के तहत स्कीम के शुरू होने के समय से निर्यातकों को 16,427 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
- (vi) सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यातकों सहित नए और संभावित निर्यातकों तक पहुंचने के उद्देश्य से निर्यात बंधु स्कीम को कार्यान्वित करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर अभिविन्यास कार्यक्रमों, परामर्श सत्रों, व्यक्तिगत सुविधा आदि के माध्यम से मार्गदर्शन करना शुरू किया है।
- (vii) बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम में बाजार अध्ययन/सर्वेक्षण के माध्यम से विनिर्दिष्ट बाजार और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने के लिए उत्पाद-केंद्रित देश दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। नए बाजारों तक पहुंच के माध्यम से या मौजूदा बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ाने के माध्यम से निर्यात में वृद्धि हेतु निर्यात संवर्धन संगठनों/व्यापार संवर्धन संगठनों/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/प्रयोगशालाओं, निर्यातकों आदि को सहायता प्रदान की जाती है।
- (viii) निर्यात वृद्धि हेतु समुचित अवसंरचना के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 से निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) प्रचालन में है।
- (ix) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम को दिनांक 01.01.2021 से लागू किया गया है। श्रम उन्मुख वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम को 07.03.2019 से लागू किया गया है।

- (x) व्यापार को सुगम बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने हेतु उद्गम प्रमाण पत्र के लिए कॉमन डिजीटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।
- (xi) विशिष्ट कार्य योजनाओं के द्वारा सेवा निर्यातों को बढ़ावा देने और विविधीकरण करने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों को अभिचिन्हित किया गया है।
- (xii) निर्यात हब के रूप में जिला (डीईएच) पहल जिसके तहत देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को चिन्हित किया गया है। जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में प्रत्येक जिले में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। डीईपीसी का प्राथमिक कार्य केन्द्र, राज्य और जिला स्तर के सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजना तैयार करना और उस पर कार्य करना है। चयनित जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक नई योजना भी तैयार की गई है।
- (xiii) ईपीसी, पण्य बोर्ड और विदेशों में स्थित भारतीय मिशन भी सक्रिय रूप से भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।
- (xiv) व्यापारी समुदाय की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, डीजीएफटी ने अपने वर्तमान आईसीटी इको सिस्टम को सुधारने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि सभी हितधारकों के साथ पेपरलेस, निर्बाध इंटरफेस की ओर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा जा सके।

(ख): विगत तीन वर्षों के लिए वस्तु-वार निर्यात की मात्रा और मूल्य का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग): निर्यात की सुगमता को सुविधाजनक बनाने हेतु निर्यातकों के लिए वाणिज्य विभाग/डीजीएफटी द्वारा विभिन्न स्कीमें चलाई जाती हैं और इन स्कीमों के तहत आवंटित और संवितरित/उपयोग में लाई गई राशि अनुलग्नक-II में दी गई है।

इसके अलावा निर्यातों की सुगमता हेतु डीजीएफटी ने अपनी आईटी प्रणाली को सुधारने के लिए अनेक प्रौद्योगिकी-चालित कदम उठाए हैं। नई डीजीएफटी आईटी प्रणाली दो तरफा ऑनलाइन संचार और प्रोसेसिंग, दस्तावेजों की प्रमाणिकता के ई-सत्यापन की सुविधा प्रदान करती है और आयातकों/निर्यातकों को एक कागज-रहित, संपर्क रहित, पारदर्शी इंटरफेस प्रदान करती है।

\*\*\*\*\*



विगत तीन वर्षों के दौरान मुख्य उत्पादों हेतु भारत के निर्यात का विवरण:

(मूल्य अमरीकी मिलियन डॉलर में)

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद	2019-20	2020-21	2021-22
1	इंजीनियरिंग वस्तुएं	78704.4	76719.6	112094.5
2	पेट्रोलियम उत्पाद	41288.7	25804.4	67467.8
3	रत्न और आभूषण	35898.5	26022.8	39099.1
4	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	22082.8	22088.5	29364.6
5	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	20703.5	24444	24605.6
6	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	11700.6	11093.3	15660.2
7	सभी वस्त्रों का आरएमजी	15488.1	12272.2	16016
8	सूती धागे/फैब्स/मेडअप्स, हथकरघा उत्पाद आदि।	10027.7	9827.9	15297.4
9	चावल	6403.2	8829.2	9664.9
10	प्लास्टिक और लिनोलियम	7551.6	7462.9	9824.4
11	समुद्री उत्पाद	6722.1	5962.4	7772.4
12	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रक्रिया सहित खनिज	3948.4	4331.8	5189.3
13	मानव निर्मित सूत/फैब्स/मेडअप्स आदि	4821.4	3806.3	5614.1
14	चमड़ा और चमड़ा विनिर्मिति	4658.5	3301.4	4381.4
15	मांस, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद	3714.3	3658	4140.8
16	सिरेमिक उत्पाद और कांच के बने पदार्थ	2870.7	3050.6	3464.8
17	मसाले	3621.4	3984	3929.9
18	अनाज विनिर्मिति और विविध संसाधित	1527	1859.9	2280.5
19	फल और सब्जियां	2380.5	2612.8	2882.3
20	लौह अयस्क	2625	4896.5	3241.2
21	कालीन	1373.3	1491.4	1789.9
22	हस्तशिल्प, हाथ से बना कालीन छोड़कर	1797.9	1707.5	2088.4
23	खली	827.9	1585	1031.7
24	कॉफी	738.9	719.7	1020.7
25	अन्य अनाज	205.2	705.4	1085.1
26	तिलहन	1318.1	1235.7	1113.7
27	तंबाकू	905.2	876.7	923.4
28	चाय	826.5	756.3	750.7
29	फर्श कवरिंग सहित जूट विनिर्माण	342.6	371.3	507.6
30	काजू	566.8	420.4	453.1
31	अन्य	17720.6	19910.8	29139
<b>भारत का कुल निर्यात</b>		<b>313361</b>	<b>291808.5</b>	<b>421894.3</b>

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

टिप्पणी: क्यूई समूह के भीतर मात्रा के मापन की इकाईयां अलग होने के कारण, मात्राओं को जोड़ा नहीं जा सकता, अतः उपलब्ध नहीं कराए जा सकते।

विभिन्न स्कीमों के तहत आवंटित और संवितरित/उपयोग में लाई गई राशि

	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (करोड़ रु. में)	
	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग (अप्रैल से जून, 2022)
एमईआईएस*	-	39046	-	14405	29599	24758	3289	252
एसईआईएस*	-	7114	-	4740	6001	4034	4001	917
<b>जारी स्कीमें</b>								
आरओडीटीईपी	-	---	3114	2675	12454	12097	13699	3235
आरओएससीटीएल	-	3496	1737**	8755***	10495	9009	7641	2103
आईईएस	2890	2890	1667	1667	3488	3488	2621	1682
टीआईईएस	65	65	60	60	75	75	71	00
एमएआई	325	325	171	171	140	140	200	10
डीजीएफटी की आईटी प्रणालियों में सुधार	16	16	16	16	15	15	0.25	0.25

\*स्कीमें अब चालू नहीं हैं।

\*\*यह आबंटन केवल जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक के लिए था।

\*\*\*इस उपयोग में अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक की अवधि के लिए डीजीएफटी द्वारा जारी स्क्रिप्स शामिल हैं जिनके लिए कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया।

\*\*\*\*\*

**श्री नरेश बंसल :** उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपने कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी को बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट टारगेट क्रॉस किया गया है।...(व्यवधान)... मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उस निर्यात में उत्तराखंड फार्मा, ऑटोमोबाइल इसका हब है।...(व्यवधान)... फार्मा, एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल का उस निर्यात में क्या योगदान है और उसको बढ़ाने के लिए सरकार की क्या नीति है?

**श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल :** उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूँ कि आज हमारा देश ट्रेड और कॉमर्स में एक्सपोर्ट की दृष्टि से बहुत बेहतर दौर से गुजर रहा है।...(व्यवधान)... हमारा 2021-22 में मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट रहा या सर्विसेज़ एक्सपोर्ट रहा, वह रिकॉर्ड हाई परफॉर्मेंस रहा।...(व्यवधान)... हमारा मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट करीब 422 बिलियन डॉलर का रहा और हमारा सर्विसेज़ एक्सपोर्ट 254 बिलियन डॉलर का रहा।...(व्यवधान)... यानी कुल मिलाकर सर्विसेज़ और मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट 675 बिलियन डॉलर का रहा।...(व्यवधान)... इस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो रही है।...(व्यवधान)... ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स सेक्टर हमारे मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट में एक बहुत मेजर सेक्टर है और 2021-22 में ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स का एक्सपोर्ट लगभग 24,605 मिलियन डॉलर रहा है।...(व्यवधान)... So, this is one of the major products for exports. जहां तक माननीय सदस्य ने उत्तराखंड की बात की है, यह एक ऐसा राज्य है, जहां लगभग 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां फार्मास्युटिकल्स या इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इन्होंने बात की, तो काफी तादाद में उनका प्रोडक्शन होता है।...(व्यवधान)... इसके लिए हमारी सरकार ने एक नई पहल की है, जिसका आह्वान माननीय प्रधान मंत्री ने किया।...(व्यवधान)... 'Districts as Export Hubs' यानी देश के कोने-कोने में हर जिले के अंदर जो उसकी यूनिक स्पेशिएलिटी है, ...(व्यवधान)... जो एक अलग किस्म का प्रोडक्ट या उसकी स्पेशिएलिटी है, ...(व्यवधान)... उसको एक्सपोर्ट की दृष्टि से प्रमोट करने के लिए हम हर जिले को निर्यात केन्द्र बनाने की पहल कर रहे हैं।...(व्यवधान)... माननीय सदस्य के राज्य उत्तराखंड में भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी कोशिश यह है कि हम डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब को डेवलप करें।...(व्यवधान)... उसमें डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाएं, जिसका एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्लान बनाया जा रहा है।...(व्यवधान)... जो भी एक्सपोर्ट पोर्टेशियल वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनको चिन्हित करके उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।...(व्यवधान)...

**श्री नरेश बंसल :** महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की दो स्कीम्स थीं - एमईआईएस और एसईआईएस, जो अब बंद हो गई हैं।...(व्यवधान)... इसके अंतर्गत इंडस्ट्री के जो पुराने क्लेम्स हैं, क्या उनका सेटलमेंट हो गया है और यदि नहीं हुआ है, तो कब तक हो जाएगा?

**श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल :** उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ ...(व्यवधान)... हमारी जो पुरानी लीगेसी स्कीम्स थीं, जिनमें अनेक स्कीम्स थीं,

एमईआईएस भी थी और एसईआईएस भी थी। ...**(व्यवधान)**...इसके अलावा RoSCTL, टारगेट प्लस जैसी तमाम स्कीम्स थीं। इनके ड्यूज को सेटल करने के लिए सरकार ने 56,027 करोड़ की योजना फाइनेंशिएल ईयर 2021-22 के लिए की थी। ...**(व्यवधान)**...इन सभी स्कीम्स का ब्रेक-अप था, जैसे हमारी एमईआईएस स्कीम के लिए एलोकेशन 33,010 करोड़ का था, एसईआईएस के लिए 10,002 करोड़ का था, RoSCTL के लिए 5,286 करोड़ का था। ...**(व्यवधान)**... इस तरीके से हमारी तमाम स्कीम्स का सेटलमेंट इस 56,027 करोड़ ...**(व्यवधान)**... फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सरकार ने 9,304.3 करोड़ का प्रावधान पुराने क्लेम्स के सेटलमेंट के लिए कर दिया है।

**श्री कामाख्या प्रसाद तासा :** उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके टेन्चोर में एक्सपोर्ट बढ़ा है।...**(व्यवधान)**...मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नॉर्थ-ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लंदन, फ्रांस, दुबई, जर्मनी में ...**(व्यवधान)**... वेजिटेबल्स ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। ...**(व्यवधान)**...इसमें एक्सपोर्टर्स दो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...यहां पर लैबोरेटरी नहीं है। लैबोरेटरी के लिए दिल्ली और ...**(व्यवधान)**... दूसरी जगह में आना पड़ता है, जो बहुत जरूरी है। ...**(व्यवधान)**... इसके निर्यात चार्जेज बहुत ज्यादा हैं। क्या मिनिस्ट्री ने लैबोरेटरी स्थापित करने के लिए कुछ सोचा है? ...**(व्यवधान)**...दूसरा है कि कैरीइंग कॉस्ट को, फ्रेट को रिड्यूस करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की है? ...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल :** उपसभापति महोदय, इतना शोर हो रहा है कि सुनने में बहुत दिक्कत हो रही है।...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति :** केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड में जा रही है। सवाल और जवाब ही रिकॉर्ड में जा रहे हैं।

**श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल :** माननीय सदस्य ने लैबोरेटरीज के लिए एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सवाल पूछा है। ...**(व्यवधान)**... मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा इनिशिएटिव है - डिस्ट्रिक्ट ऐंज एक्सपोर्ट हब ...**(व्यवधान)**... उसके तहत जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनेगा, उसमें कन्सल्टेशन के ज़रिए यह तय किया जाएगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के रास्ते में कौन सी अड़चनें हैं या किस किस के एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। ...**(व्यवधान)**... हमारे डिपार्टमेंट की एक स्कीम है ...**(व्यवधान)**... इस स्कीम के तहत तमाम राज्यों को और जो नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको खास तौर से और हिमालयन स्टेट्स को ...**(व्यवधान)**... हम इस स्कीम के तहत इसकी फाइनेंशियल ग्रांट-इन-एड की जो सीलिंग है, वह बीस करोड़ तक है, लेकिन इसका 80 परसेंट तक का हम सपोर्ट करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का, जैसे आपने टैस्टिंग लैबोरेटरी के बारे में जिक्र किया है ...**(व्यवधान)**... एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की दृष्टि से इन्फ्रास्ट्रक्चर को उस डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत आइडेंटिफाई करके उसका निर्माण कराया जा सकता है।

**श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :** माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, उसमें स्पष्ट है कि देश में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। ...**(व्यवधान)**... मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार कोई इन्सेन्टिव देने पर का विचार कर रही है, जिससे देश में उत्पादन करने वाले हमारे करोड़ों किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके?

**श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल :** माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी के तहत, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। जिस जनपद से माननीय सदस्य आते हैं ...**(व्यवधान)**... जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वे जिस जनपद से आते हैं, उस जनपद के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया जाएगा, ...**(व्यवधान)**... उसमें किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, जो तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, उन्हें इस प्लान के तहत शामिल किया जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सुशील कुमार मोदी :** उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो रुपये का डेप्रेसिएशन हो रहा है, उसका एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ...**(व्यवधान)**... क्योंकि रिकॉर्ड 400 बिलियन से ज्यादा डॉलर के एक्सपोर्ट के बाद जो पहला क्वार्टर इस साल का है, इसमें लगातार मॉडरेशन हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट के अंदर गिरावट आ रही है। ...**(व्यवधान)**... जो 30.7 परसेंट था, वह गिरकर जून में 16.8 परसेंट हो गया। ...**(व्यवधान)**... जो ट्रेड डेफिसिट है, वह भी फर्स्ट क्वार्टर में 17.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर में, जो एक्सपोर्ट में गिरावट आ रही है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, तो रुपये के डेप्रेसिएशन का एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल :** सर, पहले तो मैं माननीय सदस्य जी से कहना चाहती हूँ कि भारत के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं और इम्पोर्ट्स भी बढ़े हैं। ...**(व्यवधान)**... और जो डेफिसिट है, उससे मैं इन्कार नहीं कर रही हूँ। ...**(व्यवधान)**... लेकिन जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वह धीरे-धीरे कम भी होगा। ...**(व्यवधान)**... Import is not always a bad thing. हमें इम्पोर्ट इसलिए भी चाहिए होता है, क्योंकि इम्पोर्ट के माध्यम से हमें बहुत सारा रॉ-मैटेरियल और बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, जो अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट में काम आते हैं। ...**(व्यवधान)**... जहां तक करेंसी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि this is a broader issue which the Ministry of Finance is already taking care of.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 65, hon. Tiruchi Siva; not present.

\*65. [The questioner was not present.]